न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 350 / 2022

अनवान : –

1. प्रदीप पुत्र बदरी प्रसाद जाति जाट निवासी नोहर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. सुमित्रा पुत्री जयलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. प्रियंका पुत्री बदरी प्रसाद पत्नी पवन कुमार जाति जाट मातुआला जिला सिरसा(हरि0)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा, अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 5/4/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा 24 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 29 / 32 की कुल 5.8190है0 भूमि में से 4 / 23 हिस्सा व रोही मौजा 24 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 84 / 81 की कुल 12.1440है0 भूमि में से 1 / 2 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू रीति–रिवाज से शासित है। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादीं की दादालाई पैतृक सम्पति है जिसमें वादी तथा प्रतिवादीया सं0 2 प्रतिवादीया स0 1 के साथ उक्त वादी भूमि में जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादीया स0 1 वादी की माता है एवं प्रतिवादीया स0 2 जो कि वादी की बहिन है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग उक्त वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है। इस प्रकार वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। लिहाजा यही बिनाय मुखास्मत है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:57:17 IST
Reason: SelfAttested

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषित किया जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादीया सं0 1 व 2 ने न्यायालय में उपस्थित होकर इकबाल जवाब पेश किया कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में रोही मौजा 24 एनटीआर खाता स0 29/29 जमाबंदी सम्वत 2074–2077 ईएक्सपी–1, रोही मौजा 24 एनटीआर खाता स0 81/73 जमाबंदी सम्वत 2070 ईएक्सपी–2, शपथ पत्र सदस्य प्रमाण पत्र ईएक्सपी–3 आदि दस्तावेज पेश किये। प्रतिवादी स0 3 राजपेरोकार ने जवाब पेश किया कि वाद ने वाद भूमि में घोषणा करवाने का कथन कर अपने हकों की घोषणा चाही गई है वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर स्वयं साबित करें एवं राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का जवाब ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादीगण की दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादी स0 2 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादीया स0 1 ता 2 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में परित्याग कर शुन्य कर लिया है। वादी अपने हिस्सा अनुसार अपने हकों की घोषणा करवाना चाहता है। वादी के वाद को प्रतिवादीया स0 1 ता 2 द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादी ने रोही मौजा 24 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 29/32 की कुल 5.8190है0 भूमि में से 4/23 हिस्सा व रोही मौजा 24 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 84/81 की कुल 12.1440है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादीया स0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी सं0 1 ता 2 द्वारा वाद की सभी मदों को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल पेश कर निवेदन किया कि यदि वाद वादी डिक्री फरमाया जाता है तो हम प्रतिवादीगण कोई एतराज नही है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादीया स0 1 ता 2 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:57:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 24 एनटीआर·तहसील नोहर के खाता स0 29/32 की कुल 5.8190है0 भूमि में से 4/23 हिस्सा व रोही मौजा 24 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 84/81 की कुल 12.1440है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 5/4/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:57:17 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 350/2022

अनवान : –

1. प्रदीप पुत्र बदरी प्रसाद जाति जाट निवासी नोहर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. सुमित्रा पुत्री जयलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. प्रियंका पुत्री बदरी प्रसाद पत्नी पवन कुमार जाति जाट मातुआला जिला सिरसा(हरि0)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 350 सन 2022 निर्णय दिनांक 5/4/23

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदरा व पेरोकार राज की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 24 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 29/32 की कुल 5.8190है0 भूमि में से 4/23 हिस्सा व रोही मौजा 24 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 84/81 की कुल 12.1440है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 5/4/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:57:17 IST
Reason: SelfAttested